

उनवान:- धर्मसिंह बनाम प्रताप वगै०
दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
6/12/22	<p>वादी की ओर से श्री छोट्टनलाल मीना एड० ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 05.01.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
5.1.23	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीतासीन अधिकारी... में पधारें हैं पत्रावली गतानुसार दिनांक... 10.3.23 को पेश हो।</p>
10/2/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं० 34 की ओर से श्री राघारमण शर्मा एड० ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। व शेष प्रतिवादी 1, 2, 5 लगा० 11 के नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं हुए हैं। वास्ते इन्वजार तलबी एवं जबाब दिनांक 16.3.23 को पेश हो।</p>
16-3-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक... 26.4.23 को पेश हो।</p>
26/3/23	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीतासीन अधिकारी... में पधारें हैं पत्रावली गतानुसार दिनांक... 31.5.23 को पेश हो।</p>
31/5/23	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीतासीन अधिकारी... में पधारें हैं पत्रावली गतानुसार दिनांक... 12.7.23 को पेश हो।</p>

8450-60
6/12/22



पत्रावली पेश हुई। वाडी वकील उपस्थित।
 प्रतिवादी नं ३५ की ओर से कोई अधिवक्ता
 व प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ। बार - 2 आवाज
 दिलाई गई। कोई उपर नहीं हुआ। इसलिए उक्त
 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही जमल में लाई
 जाती है एवं शेष प्रतिवादी नं 1, 2, 5 लगाए।
 के नोटिस पुनः पेश करने के लिए वाडी वकील
 को दृष्टांत दी गई। वास्ते तसबी दिनांक 13.5.24
 को पेश हो

(5)

पत्रावली पेश हुई। वाडी वकील व वाडी की
 ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार - 2
 आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ।
 वाडी का दावा स्थायी निवेद्याला अडम हाजिरी एवं
 अडम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
 फेसल शुभार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
 दफ्तर हो

(5)